भीम

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(2)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 09.04.2025 के अनुसरण में श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झुन्झुनू/जयपुर शहर द्वारा राज्य बीमा ऋण/दावों एवं सामान्य प्रावधायी निधि खाते में अनियमित आहरण के प्रकरणों की जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री उम्मेद सिंह,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, भौ.स.दल सं. 64, झुन्झुनू)	प्रभारी
2.	श्री शिशुपाल सिरोहा,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, भौ.स.दल सं. 65, झुन्झुनू)	सदस्य
3.	श्री रवि	कनिष्ठ लेखाकार,	(सदस्य, भौ.स.दल सं. 64, झुन्झुनू)	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार	कनिष्ठ लेखाकार,	(सदस्य, भौ.स.दल सं. 65, झुन्झुनू)	सदस्य

3. विशेष जांच कार्य शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.5(2)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 09.04.2025 (प्रति संलग्न) एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) की अर्द्धशासकीय टीप सं. प.4(47)वित्त/बीमा/2024 पार्ट दिनांक 04.04.2025, अर्द्धशासकीय टीप के साथ संलग्न टीप दिनांक 01.04.2025 एवं निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का पत्रांक 3070 दिनांक 06.03.2025 एवं अन्य संलग्नकों (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

4. उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि जांच कार्य दिनांक 28.04.2025 से प्रारम्भ कर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अभिलेखीय साक्ष्यों सहित एक माह में पूर्ण करते हुये विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 9154-170 दिनांक :– 22-4-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झुन्झुनू/जयपुर शहर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
7. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
8. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री उम्मेद सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.स.दल सं. 64, झुन्झुनू/श्री शिशुपाल सिरोहा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, भौ.स.दल सं. 65, झुन्झुनू/श्री रवि, कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य, भौ.स.दल सं. 64 झुन्झुनू/श्री संजय कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, सदस्य, भौ.स. दल सं. 65 झुन्झुन को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)